भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या. *9

(जिसका उत्तर सोमवार, 04 दिसंबर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया)

विदेशी कंपनियों का प्रचालन

***9. डॉ. जी. रणजीत रेड्डीः**

श्रीमती कनिमोझी करूणानिधिः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2018 से देश छोड़ने वाले विदेशी व्यवसायों की संख्या के आने वाले नए व्यवसायों से अधिक होने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ख) क्या वर्ष 2018 में 111 विदेशी कंपनियों, जिन्होंने अपना परिचालन बंद कर दिया था, की तुलना में 102 विदेशी फर्मों ने परिचालन शुरू किया;
(ग) क्या वर्ष 2022 में अपना परिचालन बंद करने वाली 78 विदेशी कंपनियों की तुलना में 64 विदेशी फर्मों ने परिचालन शुरू किया;
(घ) क्या वर्ष 2018 और 2023 के बीच (मार्च तक) देश छोड़ने वाली 559 कंपनियों की तुलना में 469 विदेशी कंपनियों ने परिचालन शुरू किया;
(ङ) क्या इसका अर्थ यह है कि विशेषकर महामारी के बाद निवेशकों के चीन जाने के प्रति अनिच्छुक होने के बावजूद, देश में व्यवसाय का माहौल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है; और
(च) सरकार की इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने की योजना है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 04.12.2023 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *9 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): विदेशी कंपनियां (भारत के बाहर निगमित) भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों की अपेक्षाओं और अन्य क्षेत्रीय अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात्, जहां कहीं भी लागू हों, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए भारत में व्यवसाय स्थल अर्थात शाखा कार्यालय, परियोजना कार्यालय, संपर्क कार्यालय/प्रतिनिधि कार्यालय आदि स्थापित कर सकती हैं। इस तरह के कार्यालय की स्थापना के 30 दिनों के भीतर, वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 380 के तहत आवश्यक दस्तावेज फाइल करके कंपनी रजिस्ट्रार (दिल्ली और हरियाणा) से पंजीकरण प्राप्त करते हैं।

प्रश्न के भाग (ख) से (घ) में दिए गए आंकड़े उन विदेशी कंपनियों से संबंधित हैं, जिन्होंने 2018 से 2023 (जनवरी तक) तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 380 के तहत भारत में अपना व्यवसाय खोला या बंद कर दिया है। तथापि, विदेशी कंपनियां न केवल भारत में व्यापार स्थल खोलकर बल्कि भारतीय सहायक कंपनियों, जो भारतीय कंपनियां हैं लेकिन विदेशी होल्डिंग कंपनियों की सहायक कंपनियां हैं, के माध्यम से भी भारत में निवेश कर सकती हैं। वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 (नवंबर तक) की अवधि के दौरान, 7946 विदेशी कंपनियों ने अपनी भारतीय सहायक कंपनी को पंजीकृत किया है। डीपीआईआईटी की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों से यह भी देखा गया है कि भारत में समग्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्त वर्ष 2018-19 में 62001 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 71,355 मिलियन अमरीकी डालर (अनंतिम आंकड़ा) हो गया है।

(ङ) और (च): किसी कंपनी के लिए भारतीय सहायक कंपनियों के माध्यम से प्रचालन शुरू करना या व्यवसाय के स्थान की स्थापना करना या इसे बंद करना, वाणिज्यिक व्यावसायिक निर्णय के मामले हैं। ये परिचालन की व्यवहार्यता, क्षेत्रीय रणनीति, वैश्विक प्राथमिकताओं, बाजार के आकार, पूंजी और कंपनी के भीतर संसाधन आवंटन के साथ-साथ किसी विशेष व्यावसायिक इकाई के निर्णय कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में काम करना है या नहीं, जैसे कई कारकों पर निर्भर करते हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि देश के व्यावसायिक माहौल में विदेशी निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है।

****